नोट संदर्भ: एचओ सीआरएमडी:केपी/19 दिनांक: 16-04-2025 **(अनुलग्नक-I)**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

प्रधान कार्यालय-ऋण निगरानी विभाग

सीए फर्मों के लिए सामान्य पात्रता मानदंड - स्टॉक ऑडिट / विशेष निगरानी एजेंसी (एएसएम) को नियुक्त करने के लिए बैंक द्वारा विचार योग्य बातें

1) हमारे बैंक के स्टॉक ऑडिट असाइनमेंट देने के लिए सीए फर्मों का चयन करते समय बैंक द्वारा निम्नलिखित सामान्य मानदंडों का पालन किया जाता है:

क) सीए फर्मों का चयन आरबीआई के पैनल लेखा परीक्षकों की सूची से किया जाता है।

ख) कम से कम 5 वर्षों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाली साझेदारी फर्म हो।

ग) फर्म में दो से अधिक साझेदार होने चाहिए और उनमें से कम से कम एक एफसीए होना चाहिए।

घ) फर्म ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में हमारे बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा (केंद्रीय या शाखा) नहीं कराई हो या उसे चालू वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा आवंटित नहीं की गई हो और स्टॉक लेखा परीक्षा आवंटन स्वीकारते समय, स्टॉक लेखा परीक्षक को यह वचनपत्र देना होगा कि वे उस चालू वित्तीय वर्ष के लिए हमारे बैंक की किसी भी शाखा की सांविधिक लेखा परीक्षा स्वीकार नहीं करेंगे।

ङ) स्टॉक ऑडिट फर्म को नियुक्ति के समय और स्टॉक ऑडिट की अवधि के दौरान हमारे बैंक की किसी भी शाखा का समवर्ती ऑडिटर नहीं होना चाहिए।

च) हमारे बैंक के साथ जुड़ी विशेष निगरानी एजेंसियों (एएसएम) को भी स्टॉक ऑडिट करने के लिए आवंटित किया जा सकता है। हालांकि, स्टॉक / एएसएम ऑडिट असाइनमेंट का कुल असाइनमेंट, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी सीए फर्म को 3 से अधिक खाते नहीं होने चाहिए।

छ) इसके अलावा, किसी भी सीए फर्म को स्टॉक ऑडिट का आवंटन;
ए) श्रेणी-I सीए फर्मों को एक वर्ष में 3 खातों से अधिक नहीं होगा,
ऐ) श्रेणी-II/III सीए फर्मों को एक वर्ष में 2 खातों से अधिक नहीं होगा और
ऑ) श्रेणी-IV सीए फर्मों को एक वर्ष में 1 खाते से अधिक नहीं होगा।

ज) फर्म का कोई भी साझेदार हमारे बैंक का निदेशक नहीं होना चाहिए।

झ) फर्म का कोई भी साझेदार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के अंतर्गत अयोग्य नहीं होना चाहिए।

ञ) समान साझेदार वाली सीए फर्मों को स्टॉक ऑडिट की संख्या के आवंटन के प्रयोजन के लिए एक ही फर्म माना जाता है।

II) एएसएम (विशेष निगरानी हेतु एजेंसी) लेखापरीक्षा समनुदेशन आवंटित करने के लिए लेखा परीक्षक फर्मों का चयन करते समय हमारे बैंक द्वारा निम्नलिखित सामान्य मानदंडों का पालन किया जाता है:

विशिष्ट निगरानी हेतु एजेंसियां (एएसएम) ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों आदि में अच्छे डोमेन ज्ञान, अनुभव और कौशल वाले पेशेवर होते हैं। बड़े एक्सपोजर या विशिष्ट प्रकृति के एक्सपोजर के मामले में, ये एजेंसियां निरीक्षण, स्टॉक लेखा परीक्षा, बैंकों को प्रभारित आस्तियों की

स्थिति, सभी सदस्य बैंकों के साथ संव्यवहार की संवीक्षा, नकदी प्रवाह निगरानी, अंतिम उपयोग सत्यापन आदि की सेवाएं प्रदान करती हैं।

एएसएम (आईबीए द्वारा परामर्शित)/बैंक की नियुक्ति के लिए रूपरेखा के अनुपालन में, व्यापक पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) एएसएम ऑडिट निरपवाद रूप से केवल श्रेणी-I सीए फर्म को आवंटित किया जाएगा।

ii) एएसएम फर्म आईबीए द्वारा अनुमोदित एएसएम की पैनलीकृत सूची में से होगी, जिसे आईबीए द्वारा सदस्य बैंकों को समय-समय पर उस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा जिससे उधारकर्ता संबंधित है या आईबीए की सामान्य क्षेत्र सूची में शामिल है।

iii) संबंधित क्षेत्र/ सेक्टर में एएसएम असाइनमेंट का अनुभव जिसमें उधारकर्ता कार्यरत है।

iv) एएसएम समनुदेशन वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए और पिछले दो पूर्ण वित्तीय वर्षों (अर्थात लगातार तीन वर्ष) के लिए हमारे बैंक के एससीए/एसबीए को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

v) एएसएम समनुदेशन हमारे बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षक को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

vi) एएसएम को उधारकर्ता कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक आवंटित नहीं किया जाना चाहिए जिसका खाता उधारकर्ता कंपनी के किसी समूह / सहयोगी/ सहायक कंपनी या सांविधिक लेखा परीक्षक को आवंटित किया जा रहा है।

vii) एएसएम आवंटित सीए फर्म उसी उधारकर्ता समूह की अन्य कंपनियों के साथ कोई अन्य लेखापरीक्षा नहीं करेगी।

viii) एएसएम समनुदेशन किसी सीए फर्म को आवंटित नहीं किया जाएगा, जिसके पास एक वित्तीय वर्ष में एएसएम/स्टॉक लेखापरीक्षा करने के लिए कम से कम 3 खाते हैं।

ix) आईबीए ने अपने पत्र सीआईबी/पीएसबी/आरए/ईएएसई/एएसएम दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से सुझाव दिया है कि "एएसएम को दिए जाने वाले समनुदेशन की संख्या उनके आकार, क्षमता, विशेषज्ञता और भौगोलिक स्थानों पर आधारित होगी।

x) कोई भी प्रवर्तक/निदेशक/भागीदार हमारे बैंक में निदेशक नहीं होना चाहिए।

xi) एएसएम असाइनमेंट आबंटित किए जाने वाले सीए फर्म या उनके निदेशकों/भागीदारों का उधारकर्ता फर्म एवं उसकी समूह कंपनी/सहयोगियों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होगा एवं उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 226 के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

xii) एएसएम असाइनमेंट आबंटित किए जाने वाले सीए फर्म या उसके निदेशकों/भागीदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा या उनके नाम किसी संगठन की चेतावनी सूची में नहीं होगें/कंपनी अधिनियम की धारा 226 के तहत अयोग्य नहीं होगें। एक वचनपत्र/घोषणा प्रस्तुत की जानी है।

xiii) एएसएम का उधारकर्ता कंपनी/समूह/सहयोगी/उधारकर्ता कंपनी की सहायक कंपनी के साथ कोई व्यावसायिक/आधिकारिक या अन्य अनुबंध नहीं होगा। एएसएम असाइनमेंट आबंटित किए जाने का इरादा रखने वाली सीए फर्म को यह भी वचन देना होगा कि वे उधारकर्ता कंपनी/समूह/उधारकर्ता कंपनी की सहायक कंपनी के साथ आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। इस आशय का वचनपत्र एएसएम से प्राप्त किया जाएगा।

xiv) वर्तमान में कार्यरत सीए फर्म अगले तीन वर्षों के भीतर एएसएम असाइनमेंट के लिए उसी खाते के लिए फिर से बोली नहीं लगा सकती है।

xv) सीए फर्म को सरकार या पीएसबी या आईसीएआई या एनएफआरए के किसी भी विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं होगा।

xvi) सीए फर्म आईबीसी कोड/कंपनी कानून या किसी अन्य क़ानून आदि के तहत अपात्र या अयोग्य नहीं होगी।

xvii) आईबीए/सीवीसी/बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1 की कम से कम 5 से 10 सीए फर्मों से एएसएम के चयन के लिए तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी, जो आईबीए के साथ पैनलीकृत हों एवं परिचालन सुविधा के लिए अधिमानतः उनकी शाखा/कार्यालय उधारकर्ता की इकाई/कार्यालय के निकट हो।

नोट: उपर्युक्त जानकारी केवल सीए फर्म/एएसएम की सामान्य जानकारी के लिए एक सांकेतिक सूची है, जिसका पालन बैंक द्वारा स्टॉक लेखा परीक्षण का चयन करते समय/एएसएम फर्मों से बोलियाँ आमंत्रित करते समय किया जाता है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को बैंक द्वारा समय-समय पर जैसा आवश्यक हो संशोधित किया जा सकता है।

दिनांक: 16-04-2025